मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/216/ 2614

भोपाल, दिनांक 10/04/2023

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)

विषय - **कृषि उपज मंडी समितियों की नियमन/ विपणन व्यवस्था के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले पत्रों/ ईमेल पर आवश्यक कार्यवाही।**

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय की नियमन शाखा में विभिन्न माध्यमों से पत्र/ ईमेल प्राप्त होते रहते है जिनमे मुख्यतः निम्न अनुसार स्थिति अंकित होती है -

- कृषि उपज मंडी समिति की नियमन/ विपणन व्यवस्था में कथित अनियमितता।
- मंडी समिति की नियमन/ विपणन व्यवस्था में अपेक्षित सुधार।
- मंडी कृत्यकारियों के द्वारा मंडी अधिनियम/ नियम/ उपविधि के प्रावधानों का कथित उल्लंघन।
- इसके अतिरिक्त मंडी समिति की नियमन/ विपणन व्यवस्था से संबंधित अन्य ऐसे विषय जिनमें मंडी समिति के स्तर से किसी कार्यवाही/ निराकरण का अनुरोध किया जाता है।

2. ऐसे पत्रों/ ईमेल में से ऐसे पत्र/ ईमेल जिनका निराकरण संबंधित मंडी समिति के स्तर से संभव है, आंचलिक कार्यालय को निराकरण की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अग्रेषित किए जाते है।

3. आंचलिक अधिकारी, अधीनस्थ मंडी समितियों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी है। अतः उक्तानुसार अग्रेषित पत्र/ ईमेल के संबंध में आंचलिक अधिकारी के स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही की अपेक्षा है -

i. **संबंधित पत्र/ ईमेल के संबंध में मंडी अधिनियम/ नियम/ उपविधि/ परिपत्र आदि के प्रावधान के अनुसार प्रकरण का परीक्षण करना।**

ii. **प्रकरण में मंडी अधिनियम/ नियम/ उपविधि/ परिपत्र आदि के प्रावधान के अनुसार मंडी समिति के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करना।**

iii. **मंडी कृत्यकारियों के द्वारा मंडी अधिनियम/ नियम/ उपविधि/ परिपत्र आदि के प्रावधान का उल्लंघन प्रमाणित होने पर संबंधित के विरुद्ध मंडी समिति के स्तर से प्रतिबंधात्मक/ दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना।**

iv. कृषि उपज मंडियों में सामान्य नियमन/ विपणन व्यवस्था बहाल कराना।

उक्त पैरा 3 में अपेक्षित कार्यवाही के साथ ही आंचलिक अधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि - प्रकरण में उल्लेखित कथित अनियमितता में संलिप्त पाए गए अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध प्रत्यायोजित प्रशासनिक अधिकार की सीमा तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएं, मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों के विरुद्ध मंडी समिति से अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराएं तथा केवल प्रत्यायोजित प्रशासनिक अधिकार बाह्य प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही का स्पष्ट प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जाएं।

5. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि - मुख्यालय से अग्रेषित पत्र/ ईमेल में अंकित बिंदुओं पर वस्तुस्थिति ज्ञात की जाएं तथा उक्त पैरा-3 व पैरा-4 में अंकित अनुसार अपेक्षित निराकरण की कार्यवाही एवं आवश्यकता होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही (कृत कार्यवाही/ प्रस्तावित कार्यवाही) शीघ्र पूर्ण की जाकर 15 दिवस में अंतरिम रिपोर्ट एवं अधिकतम 1 माह की अवधि में अंतिम रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की जाएं।

6. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि आपको पैरा-1 अनुसार प्राप्त हुए ईमेल सीधे ही आंचलिक कार्यालय पर अग्रेषित किए जा सकते है, उन सभी ईमेल के संबंध में भी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं। इसके लिए मुख्यालय से हस्ताक्षरित आवरण पत्र के प्राप्त होने की प्रतीक्षा नहीं की जाएं।

(प्रबंध संचालक के अनुमोदन से जारी)

10/04/23

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/216/ 2615

भोपाल, दिनांक 10 /04/2023

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर संचालक / संयुक्त संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय-भोपाल।
2. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय-भोपाल। वेबसाइट पर अपलोड किया जाएं।
3. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ______ जिला ______ (मध्यप्रदेश) (समस्त)।
4. गार्ड फाइल/ परिपत्र फाइल।

10/04/23

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल